


193

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल (म०प्र०) सर्किट

कोर्ट रीवा (म०प्र०) निवासी 428-III-15

37
04-2-15



Rs 20/-

कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी तनय स्व० रामकिशोर निवासी ग्राम सगौनी, थाना
व तह० रामपुर बघेलान जिला सतना म०प्र० _____आवेदक

बनाम

राजबहोर सिंह पिता श्री वंशरूप सिंह निवासी ग्राम सगौनी, थाना व तह०
रामपुर बघेलान जिला सतना म०प्र० _____ अनावेदक

श्री. राजबहोर सिंह द्वारा आज दिनांक 04-2-15 के प्रस्ताव किया गया।

[Handwritten signature]

क्रमांक 4590
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक को प्राप्त
[Handwritten signature]
रजिस्टर्ड ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वाटिधर

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध सीमांकन
आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर
बाघेलान जिला सतना म०प्र० दिनांक
27/08/2014 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक
64अ-12/13-14 बावत् भूमि खसरा
क्रमांक 229/5 रकवा 0.08 डि०, एवं
231/5 रकवा 0.02 एकड़ स्थित ग्राम
सगौनी तह० रामपुर बघेलान जिला
सतना म०प्र० कार्यवाही अंतर्गत धारा 129
कानून माल अधिनियम 1959 ।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50
कानून माल अधिनियम 1959 ।

मान्यवर


पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.428-III/15

जिला-सतना

कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी/राजबहोरन सिंह

(1)	(2)	(3)
25.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M ✓